

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में  
देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता**

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्याज्ञा सं० 401/36-3-06-7(न्यून वे०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंको के ऊपर जनवरी 2012 से जून 2012 के औसत 999 (नौ सौ उनतालिसा मात्र) पर दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक तथा जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 999 (नौ सौ निचानवे मात्र) पर दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है :-

**दृष्टान्त :-** रूपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 999 पर दिनांक जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 999 (नौ सौ निचानवे मात्र) पर दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

$$(999-522) \times 2600 = \text{रु० } 2375.86 \text{ प्रतिमाह}$$

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते/मासिक मजदूरी/दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	निर्धारित प्रतिमाह मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		प्रतिमाह कुल मजदूरी (रूपये में) दि० 1.4.13 से 30.9.13 तक	दैनिक मजदूरी दरें (रूपये में) दि० 1.4.13 से 30.9.13 तक
			दि० 01.10.2012 से 31.03.2013 तक	दि० 01.04.2013 से 30.09.2013 तक		
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	2600.00	2077.01	2375.86	4975.86	191.38
2	अर्द्ध कुशल	2964.00	2367.79	2708.48	5672.48	218.17
3	कुशल	3290.00	2628.22	3006.38	6296.38	242.17

नियोजनों के नाम :-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूर सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आर्यल फम्प।
8. डेरी और गिल्क डेरी।
9. सिले सिलार्ये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
13. डलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिनमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. बाणिज्य अविष्टान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।

30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियताओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने।
35. विद्यामलाई उद्योग।
36. आइसक्रीम/ आइसलीम विनिर्माणशाला।
37. बर्फ विनिर्माणशाला।
38. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
39. लाण्डी और पुताई अधिष्ठान।
40. बेकरी और विस्फुट विनिर्माणशाला।
41. चिकन के कारखाने।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. माटरी, सिरेमिक्स या रिफ्रिजरीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा उद्योग।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा (सिलक की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रचालक विनिर्माण।
53. ऊनी कपड़ों बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. संचित वसूलित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएवर) बल्ब एयम कोंच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट गट्टा उद्योग।

( यू०पी०सिंह )

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर ।

पत्र सं०- 1021-26 / प्रतिलिपि :-

प्रवर्तन०- ( म० गत्ता ) / 13

दिनांक 01.04.2013

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा अभिकर्तों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा भेजे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसूचित उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को।
4. विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
5. अधिराशी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
6. अपर श्रमायुक्त, (नज़ारत) को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
7. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
8. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. उप श्रमायुक्त (पुस्तकालय), मुख्यालय को सूचनार्थ/अभिलेखार्थ प्रेषित।
10. विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

( यू०पी०सिंह ) 11/4/2013

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।